10. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

1. स्थापना एवं उद्देश्य

(अ) छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठनः- छत्तीसगढ़ शासन , सामान्य प्रशासन वभाग की अ धसूचना क्रमांक - 10-7/2002/1/5 दिनांक 28 सतम्बर 2002 के द्वारा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 243-ट के अपेक्षा अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन दिनांक 01 अक्टूबर 2002 से कया गया है।

(ब) पद स्थापनाः- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय एवं 27 जिला स्तरीय कार्यालयों के लए अ धकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 210 पद स्वीकृत कये गये है।

(स) छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के उद्देश्य:- संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के सम्यक् समय पर निर्वाचन सम्पन्न्न कराना।

(द) मशन एवं वजन:-

1. त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लए जनप्रतिनि धयों का स्वतंत्र निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित निर्वाचन का वातावरण सुनिश्चित करना।

2. निर्वाचन के वैधानिक एवं प्रबंधन संबंधी सभी पहलुओं के सुदृढ़ करने का उपाय करना।

3. निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना , एवं सुव्यवस्थित निर्वाचन के उपाय करना।

4. राज्य तथा जिला स्तर तक के अ धकारी एवं कर्मचारीवृंद को समय-समय पर निष्पक्ष , स्वतंत्र, निर्वाचन हेतु प्र श क्षत कर बेहतर कार्यप्रणाली वक सत करना।

(इ) कर्तव्य:- संवैधानिक दृष्टि से राज्य निर्वाचन आयोग का यह कर्तव्य है क नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के सम्यक् समय पर निर्वाचन सम्पन्न हों, इस हेतु-

1. गत निर्वाचन के फलस्वरूप निकायों के नियत कार्यकाल के अनुसार समाप्ति अव ध की जानकारी संधारित करना तथा आकस्मिक रिक्तियों के संबंध में शासन/कलेक्टरों (जिला निर्वाचन अ धकारी) से जानकारी प्राप्त कर संक लत करना।

2. निर्वाचन हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अ धकारियों के माध्यम से त्रुटि रहित फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करवाना।

3 निर्वाचन के लए कार्यक्रय अनुसूची जारी करना।

4. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं मतपेटी की मतदान हेतु व्यवस्था करना। संबंधित कम्पनी (म्ब्प्स्) के माध्यम से ई0व्ही0एम0 (म्टड) मशीन को मतदान हेतु तैयार करवाना जिसमें थ्स्ब्कार्य सम्मिलित है।

5. कार्यक्रम अनुसूची के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, उनकी संवीक्षा, नाम वापसी एवं प्रतीक आबंटन, आदर्श आचरण संहिता का पालन, मतदान, मतगणना, परिणामों की घोषणा आदि का सतत् पर्यवेक्षण।

2. वार्षिक बजट

राज्य शासन द्वाराछत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को विभागीय कार्यों के संचालन हेतु कार्यालय स्थापना व्यय एवं निर्वाचन व्यय के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में विगत 05 वर्षो में स्वीकृत बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार हैः-

स0क्र0	वत्तीय वर्ष	बजट प्रावधान		व्यय
		आयोजना	आयोजनेत्तर	
1	2	3	4	5
1	2013-14 मतदेय भारित	-	11,66,00,000 26,10,000	8,79,40,010 -
2	2014-15 मतदेय भारित	-	40,44,70,000 20,000	36,83,05,381 -
3	2015-16 मतदेय भारित	-	16,67,30,000 20,000	15,38,16,740 -
4	2016-17 मतदेय भारित	-	12,18,25,000 20,000	6,81,67,946 -
5	2017-18 मतदेय भारित	-	8,20,53,000 20,000	3,83,51,302 (30 नवम्बर 2017 की स्थिति में)

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को केवल आयोजनेत्तर (NON PLKN) मद में मांग संख्या 01-सामान्य प्रशासन 2015-निर्वाचन आयोग (6262)-राज्य निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत बजट स्वीकृत की जाती है।

छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग को आयोजना (PLKN) मद के अन्तर्गत बजट स्वीकृत नहीं की जाती है , फलस्वरूप राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है।

3.नगरपा लका निर्वाचन

(अ) आम निर्वाचन 2014-15 में राज्य में प्रथम वार फोटो युक्त मतदाता सूची का उपयोग कया गया तथा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन मतदान मशीन से सम्पन्न कराया गया। इस हेतु संबं धत नियमों एवं निर्देशों में आवश्यक संशोधन आयोग द्वारा कराया गया ।

राज्य शासन से इस हेतु उपलब्ध कराये गये बजट रा श रू 0 5,26,00,000/- से कट्रोल यूनिट 7500 नग एवं बैलेट यूनिट 8500 नग का क्रय कया गया। वर्तमान में नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन ई 0व्ही0एम0 मशीन के माध्यम से सम्पन्न कराये जा रहे है।

(ब) छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 31 दिसम्बर 2016 की स्थिति में नगर पंचायत अड़भार , नगर पंचायत जैजैपुर जिला जांजगीर-चांपा , नगरपा लका परिषद् सूरजपुर जिला-सूरजपुर , नगर पंचायत कुसमी जिला-बलरामपुर, नगर पंचायत फंगेश्वर जिला-गरियाबंद, नगर पंचायत कुरूद जिला-धमतरी, नगर पा लक निगम दुर्ग जिला दुर्ग एवं नगर पंचायत चखलाकसा जिला बालोद के उप निर्वाचन मई-जून 2017 एवं 30 जून 2017 की स्थिति में नगरपा लका परिषद् सूरजपुर , नगर पंचायत प्रतापपुर जिला-सूरजपुर , नगर पंचायत राजपुर जिला बलरामपुर नगर पंचायत फंगेश्वर जिला-गरियाबंद तथा नगर पंचायत डौण्डी एवं नगर पंचायत चखलाकसा जिला बालोद के उप निर्वाचन दिसम्बर 2017 सम्पन्न कराये गये।

नगरपा लकाओं के रिक्त स्थानों के निर्वाचन के लए निम्नानुसार कार्यवाही की गई:-

1. राज्य शासन के निर्देश पर सभी जिलों से नगरपा लकाओं (महापौर/अध्यक्ष/पार्षद) के रिक्त स्थानों की मा सक जानकारी प्राप्त कया जाना ।
2. फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार/पुनरी क्षत करने संबंधी कार्यक्रम जारी करना ।
3. निर्वाचन की तैयारी/सुरक्षा व्यवस्था करने संबंधी जानकारी लेना ।
4. निर्वाचन हेतु समय अनुसूची कार्यक्रम जारी करना ।
5. प्रेक्षकों की नियुक्ति एवं निर्वाचन का सूक्ष्म प्रेक्षण करना ।
6. मतदान अव ध में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध करना ।
7. निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष करने के संबंध में आवश्यक प्रबंध करना ।
8. मतदान आवश्यक होने पर ई.व्ही.एम. (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) , अ मट स्याही, मतपत्र (लेबल), पावर पैक, पेपर सील आदि की व्यवस्था कराया जाना ।
9. निर्वाचन के परिणामों की जानकारी निर्धारित प्ररूपों में लेना ।
10. जिला निर्वाचन अ धकारी से प्रतिवेदन लेना ।

11 उप निर्वाचन पश्चात् संक लत निर्वाचन प्रतिवेदन तैयार करना।

12. नगरपा लका निर्वाचन शाखा में उपरोक्त कार्य के अलावा न्यायालयीन प्रकरणों एवं शकायतों का कार्य भी संपादित कया जाना।

13. जन सूचना अ धकारी एवं अपील अ धकारी के प्रकरणों का निराकरण करना ।

14 राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं स चव द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

आगामी वर्ष के लए शाखा का लक्ष्य:-

1. प्रदेश के समस्त जिलों से 31 दिसम्बर 2017 एवं 30 जून 2018 की स्थिति में रिक्त पदों की प्राप्त जानकारी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने हेतु मतदाता सूची तैयार कर निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु लक्ष्य रखा गया है।

2. ई.व्ही.एम. (6450 बैलेट यूनिट एवं 2450 कंट्रोल यूनिट) क्रय करना प्रस्ता वत है।

3. ई.व्ही.एम. के सुरक्षा के लए जिलों में गोदाम निर्माण का लक्ष्य।

4. पंचायत निर्वाचन

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 31 दिसम्बर 2016 की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायतों के 01 जिला पंचायत सदस्य, 09 जनपद पचायत सदस्य, 101 सरपंच तथा 587 पंचों (कुल 698) के रिक्त पदों की पूर्ति के लए उप निर्वाचन मई-जून 2017 एवं 30 जून 2017 की स्थिति में पंचायतों के 09 जनपद पंचायत सदस्य, 120 सरपंच एवं 578 पंच (कुल 707) रिक्त पदों का उप निर्वाचन नवम्बर-दिसम्बर 2017 की कार्यवाही कर निर्वाचन सम्पन्न कराये गये।

त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त स्थानों के निर्वाचन के लए निम्नानुसार कार्यवाही की गई:-

1. सभी जिलों से त्रिस्तरीय पंचायतों (जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के रिक्त स्थानों की मा सक जानकारी प्राप्त कया जाना।

2. फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार/पुनरी क्षत करने संबंधी कार्यक्रम जारी करना।

3. निर्वाचन की तैयारी/सुरक्षा व्यवस्था करने संबंधी जानकारी लेना।

4. निर्वाचन हेतु समय अनुसूची कार्यक्रम जारी करना।

5. प्रेक्षकों की नियुक्ति एवं निर्वाचन का सूक्ष्म प्रेक्षण करना।

6. मतदान अव ध में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध करना।

7. निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष करने के संबंध में आवश्यक प्रबंध करना।

8. निर्वाचन के परिणामों की जानकारी निर्धारित प्ररूपों में लेना।

9. जिला निर्वाचन अ धकारी से प्रतिवेदन लेना।

10 आम निर्वाचन/उप निर्वाचन पश्चात् संक लत निर्वाचन प्रतिवेदन तैयार कराना तथा प्रका शत कराना।

11. पंचायत निर्वाचन शखा में उपरोक्त कार्य के अलावा न्यायालयीन प्रकरणों एवं शकायतों का कार्य भी संपादित कया जाना।

12. जन सूचना अ धकारी एवं अपील अ धकारी के प्रकरणों का निराकरण करना।

13 राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं स चव द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

5. आगामी वत्तीय वर्ष के लए निर्धारित लक्ष्यः-

आगामी वर्ष के लए लक्ष्य

1. प्रदेश के समस्त जिलों में 31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में रिक्त पदों की जानकारी के अनुसार निर्वाचन जून 2018 में तथा 30 जून 2018 की स्थिति में रिक्त पदों की जानकारी के अनुसार निर्वाचन दिसम्बर 2018 के लए मतदाता सूची तैयार कर निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

2. प्रतिवेदन की कं डका 1 में मशन, वजन तथा कर्तव्य में उत्ले खत बिन्दूओं के अनुसार निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन हेतु बेहतर कार्यप्रणाली वक सत करना। सूचना प्रौद्यो गकी और आधुनिक संसाधनों का उपयोग करना। निर्वाचन में संलग्न अ धकारियों कर्मचारियों को प्र श क्षत करना।

3. राज्य निर्वाचन आयोग हेतु नया रायपुर में नया भवन निर्माणधीन है , जिसके पूर्ण हो जाने पर आयोग कार्यालय को नये भवन में स्थानांतरित कया जाना है।